

एस.बी.-एटीएम1

डाकघर बचत बैंक

एटीएम कार्ड/इंटरनेट/मोबाइल/एसएमएस बैंकिंग सेवा हेतु आवेदन प्रपत्र

कृपया आवेदन प्रपत्र स्पष्ट अक्षरों में भरें।

डाकघर _____	दिनांक _____ (दिन/माह/वर्ष)
*ग्राहक पहचान संख्या	* प्राथमिक खाता संख्या

1. *आवेदक का नाम

पहला नाम																				
मध्य नाम																				
*अंतिम नाम																				

2. *एटीएम कार्ड निम्न के लिए चाहिए (कृपया संबंधित कॉलम का चयन ✓ किजिये)

(a) स्वयं		(b) संयुक्त ब खाताधारक		(c) आवश्यकता नहीं	
-----------	--	------------------------	--	-------------------	--

3. * कृपया निम्नलिखित विवरण प्रदान करें :

मोबाइल नंबर		स्थायी खाता संख्या	
ईमेल आईडी			
जन्म तिथि (दिन/माह/वर्ष)		माता का प्रथम नाम	

4. *कृपया नीचे दिए विकल्पों में से अपेक्षित विकल्प का चयन करें।

क.संख्या	अनुरोध (आवेदन) का प्रकार	संबंधित विकल्प का चयन करें।						
क.	इंस्टेंट एटीएम कार्ड							
ख.	नया व्यक्तिगत एटीएम कार्ड (या) बदला हुआ व्यक्तिगत एटीएम कार्ड कार्ड पर यह नाम प्रिंट करें (21 अंकों से अधिक नहीं हो)	<table border="1"> <tr> <td>नया आवेदन</td> <td></td> </tr> <tr> <td>कार्ड बदलने हेतु आवेदन</td> <td></td> </tr> </table>	नया आवेदन		कार्ड बदलने हेतु आवेदन			
नया आवेदन								
कार्ड बदलने हेतु आवेदन								
ग.	इंस्टेंट एटीएम कार्ड बदलने के लिए							
घ.	एटीएम कार्ड पिन के लिए आवेदन							
ङ.	एटीएम कार्ड होट लिस्टिंग/बन्द करने हेतु अनुरोध (बन्द करने के लिए कार्ड नंबर के अंतिम 4 अंक लिखें)							
च.	इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग							
छ.	इंटरनेट बैंकिंग							
ज.	एसएमएस बैंकिंग							
झ.	द्वितीय खाते को मौजूदा सक्रिय एटीएम कार्ड से लिंक करना (प्राथमिक खाता कार्ड के सक्रिय होने के बाद किया जाना चाहिए)	<table border="1"> <tr> <td colspan="2">बचत खाता संख्या जिसे लिंक करना है</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> </tr> </table>	बचत खाता संख्या जिसे लिंक करना है		1		2	
बचत खाता संख्या जिसे लिंक करना है								
1								
2								

नोट:- मोबाइल बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाने के लिए, इंटरनेट बैंकिंग अनिवार्य है।

(* चिन्हित कॉलम अनिवार्य हैं)

घोषणा

मैं/हम घोषणा करते हैं कि उपरोक्त जानकारी सही है। मैं हम डाक विभाग को अपने एटीएम कार्ड या इंटरनेट/मोबाइल/एसएमएस बैंकिंग का उपयोग करके निकाली के लिए मेरे/हमारे खाते में समय-समय पर लागू होने वाले शुल्क को वसूलने का अधिकार देते हैं। मैं/हम अपने खाते में निर्धारित न्यूनतम शेष को बनाये रखने का वचन देता हूँ/देते हैं। मैं/हम, मेरे/हमारे द्वारा एटीएम कार्ड/इंटरनेट/मोबाइल बैंकिंग/एसएमएस बैंकिंग में किये गये लेन-देन के लिए पूर्ण रूप से जिम्मेदार हूँगा/होंगे तथा डाक विभाग के खिलाफ दावा नहीं करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

इंटरनेट/मोबाइल/एसएमएस बैंकिंग के लिए नियम और शर्त :- मैंने/हमने डाक विभाग की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट पर उपलब्ध दस्तावेज में निहित नियम और शर्तों को पढ़ लिया है तथा मैं/हम मेरे/हमारे यूजर आईडी तथा पासवर्ड से इंटरनेट/मोबाइल/एसएमएस बैंकिंग में किए गए समस्त लेन-देन के लिए पूरी जिम्मेदारी स्वीकार करूँगे और मैं/हम उन्हें मानने के लिए बाध्य होंगे।

एटीएम कार्ड के इस्तेमाल के लिए नियम और शर्त :- मैं/हम नीचे दर्शायी गई शर्तों और प्रावधानों से सहमत हूँ।

डाक विभाग के एटीएम कार्ड के उपयोग के लिए नियम और शर्त

जिन नियमों और शर्तों के तहत डाक विभाग का एटीएम कार्ड जारी किया गया है, वो आपके मार्गदर्शन के लिए नीचे दिए गए हैं।

(क) यहां इस्तेमाल की गई शर्त

- डीओपी डाक विभाग को इंगित करता है।
- कार्ड का अर्थ डीओपी एटीएम कार्ड जो ग्राहक को जारी किया गया है।
- कार्डधारक का अर्थ है वह ग्राहक जिसे डीओपी एटीएम कार्ड जारी किया गया है।
- पिन का अर्थ कार्डधारक को आवंटित 4 अंकों की संख्या है।

(ख) कार्ड

- कार्ड डाक विभाग की सम्पत्ति है और डाक विभाग के अनुरोध पर इसे बिना किसी शर्त के और तुरंत वापस कर दिया जायेगा ।
- डाक विभाग कार्ड को रद्द करने और बिना कोई कारण बताए एकतरफा रूप से इसके संचालन को रोकने का अधिकार सुरक्षित रखता है ।
- कार्ड गैर-हस्तांतरणीय है ।
- पिन/ओटीपी** : कार्डधारक यह स्वीकार करता है, निवेदन करता है और आश्वासन देता है कि पिन/ओटीपी निर्दिष्ट खाते तक पहुँच प्रदान करता है और यह कि कार्डधारक पिन/ओटीपी के उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के लिए तथा इस तरह के पिन/ओटीपी का उपयोग करके खाते में दर्ज हुए सभी लेन-देन और सूचना संबंधि परिवर्तनों के लिए कार्डधारक पूरी जिम्मेदारी लेता है । कार्डधारक किसी भी रूप में पिन/ओटीपी को रिकॉर्ड नहीं करेंगे ताकि पिन/ओटीपी को किसी तीसरे पक्ष के हाथों में जाने से बचाया जा सके । कार्डधारक डाक विभाग को पिन/ओटीपी द्वारा प्रमाणित लेनदेन और निदेशों को पूरा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करता है तथा वह इन्हें रद्द नहीं करेगा । डाक विभाग का कार्डधारक के पिन/ओटीपी के सत्यापन के अलावा कार्डधारक से भेजे गए या उसके द्वारा भेजे गये लेनदेन निर्देश की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का कोई दायित्व नहीं है । इसलिए, कार्ड को कार्डधारक के अधिकार में रहना चाहिए और उसे किसी और को नहीं सौंपा जाना चाहिए । कार्ड इस शर्त पर जारी किया जाता है कि डाक विभाग कार्ड के अनधिकृत उपयोग के लिए उत्तरदायी नहीं है । यह जिम्मेदारी पूरी तरह से कार्डधारक की है । इसके अलावा, डाक विभाग ऐसे किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा, जो कि एटीएम की खराबी/खराब होने के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हो सकता है ।

(ग) कार्ड का गुम होना

- कार्डधारक को तुरंत उपलब्ध चैनलों के माध्यम से कार्ड को ब्लॉक करना चाहिए (जैसे: कॉल सेंटर या किसी डा. वि. की शाखा के माध्यम से)
- कार्डधारक कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे और उसे सुरक्षित रखने के लिए सभी कदम उठावेंगे । इसके अलावा, यदि डाक विभाग यह सुनिश्चित करता है कि कार्डधारक द्वारा निर्देशों का पालन नहीं किया गया है तो कार्ड के गुम होने और चोरी होने के कारण हुई आर्थिक जबाबदेही कार्डधारक की होगी ।
- खोए हुए/क्षतिग्रस्त कार्ड के बदले में नया कार्ड जारी किया जाएगा ।
- डाक विभाग के पास यह अधिकार है की वह कार्डधारक द्वारा कार्ड का प्रयोग करके या उसके द्वारा किए हुए/माने गए सभी आहरणों और भुगतानों को रिकॉर्ड किए गए सबूतों के अनुसार खाते से डेबिट करें । यह निर्णायक और बाध्यकारी होगा । कार्डधारक समय समय पर डाक विभाग द्वारा अधिसूचित सेवा प्रभार (यदि कोई हो) के साथ संबंधित खाते को डेबिट करने के लिए स्पष्ट रूप से डाक विभाग को अधिकृत करेगा । अद्यतन सेवा प्रभार की जानकारी के लिए www.indiapost.gov.in देखें ।

(घ) लेन-देन:

- एटीएम या पीओएस टर्मिनल/ई-कॉमर्स द्वारा सृजित लेन-देन का रिकार्ड कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगा और इसे तब तक निर्णायक माना जायेगा जब तक कि डाक विभाग द्वारा अन्यथा सत्यापित और सही नहीं किया जाता है । सत्यापित और सही राशि को मानने के लिए कार्डधारक बाध्य होंगे ।
- खाता बन्द करना**: खाता बन्द करने और कार्ड सरेंडर करने के इच्छुक कार्डधारक को पहले लिखित में आवेदन देना होगा और आवेदन के साथ कार्ड को लोटाना होगा ।
- कार्ड की वैधता** : कार्ड की वैधता कार्ड के आगे के भाग में मुद्रित होती है । कार्ड की वैधता समाप्ति के महीने की अंतिम तारीख तक मान्य है ।
- कार्ड का नवीनीकरण** : डाक विभाग द्वारा कार्ड को इसकी वैधता की समाप्ति पर, बिना किसी शुल्क के, नवीनीकृत किया जायेगा ।
- हेल्पलाइन** : अधिक जानकारी और मदद के लिए, कृपया डाक विभाग के टोल फ्री नंबर 1800-425-2440 पर कॉल करें । टोल फ्री नंबर देश के सभी लैंडलाइन और मोबाइल फोन से सुलभ है ।
- लेन-देन प्रभार**: कार्डधारक के अनुमत सीमा से परे डाक विभाग के अलावा, अन्य बैंकों के स्वामित्व वाले एटीएम में लेन-देन के लिए अतिरिक्त शुल्क डेबिट किया जा सकता है । अधिक जानकारी के लिए www.indiapost.gov.in देखें ।

(ङ)

- शुल्क और प्रभार** : कार्ड के लिए वार्षिक शुल्क को डाक विभाग की प्रचलित दर पर कार्ड/एप्लीकेशन/नवीनीकरण पर कार्ड से जुड़े प्राथमिक खाते में से डेबिट किया जाएगा । प्रभारित शुल्क लौटाया नहीं जायेगा । कार्डधारक अपने खाते में डाक विभाग द्वारा समय समय पर निर्धारित न्यूनतम शेष बनाये रखेंगे । डाक विभाग के पास अधिकार सुरक्षित है कि वह कार्ड जारी/नवीनीकरण करने या कार्डधारक द्वारा किये गये लेन-देन पर अन्य फीस/शुल्क लागू कर सकें ।

(च) अतिरिक्त शर्तें :

- डाक विभाग नई सुविधाओं को शुरू करने और मौजूदा सुविधाओं को हटाने का अधिकार सुरक्षित है । डाक विभाग अपने विवेक से, बिना कोई कारण बताए, के लिए किये गये किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर सकता है । कार्ड के उपयोग के लिए शुल्क (यदि कोई हो) किसी भी परिस्थिति में लौटाया नहीं जायेगा है । डाक विभाग को कार्ड से जुड़े विशेषधिकार को वापस लेने और कार्डधारक को, डाक विभाग के किसी प्रतिनिधि के माध्यम से कार्ड को सरेंडर करने के लिए बिना कारण बताये कहा जा सकता है ।
- कार्डधारक की मृत्यु, दिवालियापन, या दिवालिया होने की सूचना मिलने पर या किसी भी संयुक्त खाताधारक के कॉर्पोरेटिव क्लॉज को बदलने किसी सक्षम न्यायालय या राजस्व प्राधिकरण या RBI से FEMA/Exchange नियंत्रण विनियमों के उल्लंघन के कारण, किसी भी पत्र के प्राप्त होने पर अन्य वैध कारणों से या जब कार्डधारक से संबंधित किसी भी कारण से कार्डधारक का पता डाक विभाग के लिए अज्ञात हो जाने पर, कार्ड का उपयोग बिना नोटिस के समाप्त हो जायेगा ।
- एटीएम सेवा आपके खाते में पहले से मौजूद शेष राशि में से नकदी निकालने के लिए है । इसलिए यह कार्डधारक का दायित्व है कि वह नकद निकासी और सेवा शुल्क को पूरा करने के लिए संबंधित खाते में पर्याप्त शेष बनाए रखें । डाक विभाग अपने पूर्ण विवेक पर एटीएम सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों में संशोधन कर सकता है ।

दिनांक: -

आवेदक के हस्ताक्षर

केवल कार्यालय उपयोग के लिए

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राहक ने व्यक्तिगत रूप से केवाईसी दस्तावेज प्रस्तुत कर दिया है तथा ग्राहक के हस्ताक्षर और फोटोग्राफ सत्यापित और CIF level पर अपडेट किये गये हैं । यदि सीबीएस में हस्ताक्षर और फोटोग्राफ उपलब्ध न हो तो नये केवाईसी प्राप्त करें और अपलोड की कार्यवाही करें ।

SOL ID

आवेदन का प्रकार	सेवा का प्रकार	काउंटर सहायक की आईडी	पर्यवेक्षक की आईडी
एटीएम संबंधित सेवाएं			
इंटरनेट/मोबाइल/एसएमएस बैंकिंग			

डाकघर की तारीख मोहर

सहायक/मुख्य/प्रवर/चीफ पोस्टमास्टर के हस्ताक्षर